न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया

श्रीमती रामदेवी पत्नी इमरत सिंह मृतक द्वारा वारिसान

1– उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री इमरत सिंह ठाकुर

2– लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री इमरत सिंह ठाकुर

निवासीगण– ग्राम पठारी तहसील बडौनी जिला– दतिया (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामचरन पुत्र श्री सोखलिया निवासी – ग्राम पठारी हाल निवास सेवढ़ा चुंगी दतिया जिला–दतिया (म.प्र.)

2– कार्यालय उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी शिवपुरी

3– शाखा प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शाखा दिनारा जिला शिवपुरी

4– विक्रय अधिकारी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शाखा दिनारा जिला शिवपुरी

2– म.प्र. शासन

–– अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.08.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय, अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा आवेदकगण को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3129–एक/2016 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
.7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 23/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 10/08/15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर	